



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-

मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012।

फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

Lk0 dsjk-Qk@I j0@Nf"K@28@2021&22@&

fnukd 15-06-2021

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ में हिस्सा आधार पर बीजोत्पादन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ जिला—श्रीगंगानगर(राज.) में वर्ष 2021—22 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रु 1180/— नकद शुल्क अप्रतिदेय (Non-refundable) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी निविदा, निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है परन्तु निविदा प्रपत्र की निर्धारित राशि रु 1180/— का डी0डी0 निविदा देते समय साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

खरीफ 2021 व रबी—2021—22 में हिस्सा आधारित पद्धति पर बीजोत्पादन हेतु लगभग 476.80 हेक्टेयर में निविदा की नियम एवं शर्तों पर निम्न चर्कों में कराया जाना प्रस्तावित है:—

चक सं0	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन क्षेत्रफल हे0 में
44 PBN	74.40
45 PBN	62.40
47 A	134.80
48 PBN Lot-1	73.60
50 PBN Lot-2	131.60
Total	476.80

निविदा के साथ रु 1500/— प्रति हेक्टेयर की दर से अमानत राशि का डी.डी./RTGS जो कि “uskuyl hml dkiwikjku fyfeVM” I jnkjx<+ ds uke l s l jrx<+ ea ns gks निविदा के साथ संलग्न कराना होगा। उक्त कार्य के लिये दो बीड सिस्टम तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के माध्यम से दो लिफाफों में दिनांक 22.06.2021 को सांय 2.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र दिनांक 22.06.2021 को अपरान्ह 2 बजे तक विक्रय किये जायेंगे तथा दिनांक 22.06.2021 को सांय 2.30 बजे तक जमा किये जायेंगे, प्राप्त निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 22.06.2021 को सांय 3.00 बजे खोली जायेंगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 4.00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा में किसी प्रकार का शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो वह केवल निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर ही डाली जायेगी।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-

मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012।

फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

Lk0 dsjk-Qk@I j0@Nf'k@28@2021&22@&

fnukad 14-06-2021

rduhdh foobj.k i.k: i ½gLI k vk/kfjr cht mRiknu vkÅVI kfi ½

क्रम सं०	विवरण	निविदादाता द्वारा दिया गया आवश्यक विवरण
1	निविदादाता का नाम व पता पिन कोड सहित।	
2	प्रस्तावित क्षेत्र (हे० में) चक का नाम सहित	
3	कुल जमा धरोहर राशि (बिना निविदा प्रपत्र मुल्य के)	
4	जमा धरोहर राशि का विवरण ;D.D./ NEFT/RTGS etc.)	
5	बैंक का नाम (जिसके द्वारा धरोहर राशि जमा की गई है)	
6	निविदादाता के बैंक नाम व आईएफएससी कोड नं०	
7	निविदादाता का खाता न० एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी।	
8	आधार कार्ड नं०	
9	पेन का कार्ड नं०	
10	उपलब्ध कृषि मशीनरी का विवरण अलग से संलग्न करें।	

fufonkrk ds gLrk{kj-----

i = 0; ogkj dk iwkz irk-----



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

Lk0 dsjk-Qk-@I j0@Nf"K@28@2021&22@&

fnukd 14-06-2021

वर्ष 2021-22 में फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा प्रति कुण्टल प्रति हेक्टेयर में

Crop/Chak no.	43 PBN Lot-1 &2	44 PBN	45 PBN	46 PBN	47A	48 PBN	50 PBN Lot no :- 1,2 &3	52 PBN Lot no.:- 1,2,3 &4
Kharif Crops								
Moong	3.79	3.50	-	-	8.36	2.04	2.16	3.50
Guar	9.07	3.50	-	-	4.74	2.90	4.33	2.56
Paddy	-	-	39.61	56.76	40.79		-	33.88
Rabi Crops								
Mustard	14.56	13.73	16.87	16.15	17.58	12.36	19.18	14.24
Gram	10.59	6.66	5.48	11.01	5.16	9.44	11.65	9.22
Wheat	28.00	-	-	-	34.73	-	-	42.28
Barley	39.86	39.40	32.76	-	42.23	25.85	31.21	25.43
Oat	17.48	11.91	17.73	-	9.88	16.81	15.77	-
Linseed	9.00	7.00	9.33	-	-	-	5.47	-
Toria	-	4.30	-	12.77	7.93	-	-	4.97
Taramira	-	-	-	3.03	-	-	-	2.89

uk/& foxr rhu o"kk ea QkeZ dsftu pdka ea ; fn dkbZ Ql y ugh yh x ; h gS rks mu pdka dk y{; QkeZ ea yh tkusokyh Ql yka dh i tr vkr r mit ifr gDV s j ds vuq kj jgsxhA

निविदादाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-

मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012।

फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

दिनांक:-

टोकन संख्या.....

&&&fufonk i =&&&

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन पद्धति के आधार पर वर्ष 2021-22 में खरीफ-2021, रबी 2021-22 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ जिला श्री गंगानगर की जमीन पर बीज उत्पादन के लिए ली जाने वाली दरें निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत हैं।

1. निविदादाता का नाम व पता.....
2. वोटर आई कार्ड/आधार कार्ड नं.(प्रतिलिपि सहित).....
3. फोन नं.....
4. पैन कार्ड नं. (प्रतिलिपि सहित).....
5. अमानत राशि का विवरण डी.डी न. सहित.....

चक सं०	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन हेतु कुल क्षेत्रफल हे० में	निविदादाता द्वारा वर्ष 2021-22 में ली जाने वाली फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिशत में एवं फार्म की दी जाने वाली दर प्रतिशत में	
		निविदादाता द्वारा ली जाने वाली दर %	फार्म को दी जाने वाली दर %
44 PBN	74.40		
45 PBN	62.40		
47 A	134.80		
48 PBN Lot-1	73.60		
50 PBN Lot-2	131.60		
Total	476.80		

मैंने निविदा की नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम व पता-
मोबाइल नं०-

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1500/- प्रति है0 मात्र डी.डी. (जो अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो) द्वारा जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड-सरदारगढ के नाम सूरतगढ देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि (EMD) कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर व अंतिम निपटान पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड व स्थाई पता देना होगा।
2. अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होंगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।
3. निविदादाता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चतम दर देने वाले सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि (EMD) वापिस नहीं की जाएगी।
4. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे। बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता से 70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में समायोजित किया जायेगा। किसान को दिये जाने वाले बीज (planting material) की दर grower programme में दी गई पॉलिसी के अनुरूप की जाएगी। पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया

जायेगा। गेहूं की फसल में प्रोपोकोनाजोल (फंगीसाइड फफूदनाशक) दवा का छिडकाव, करनाल बंट नामक बिमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिडकाव कराएगा, साधन ठेकेदार का होगा तथा दवा व साधन की कीमत उसके अंतिम भुगतान बिल में से काट ली जायेगी। **प्रस्तावित/ आवंटित क्षेत्र में फार्म पर कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।**

- 4 (i) यदि किसी कारणवस फार्म सफल निविदादाता को आधारीय/प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलों का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदादाता को किया जायेगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जायेगा और निविदादाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा।
5. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुवाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुड़ाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से एक वर्ष 2021-22 के लिये खरीफ 2021 व रबी 2021-22 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जायेगा। निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्त होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से बीज रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिये श्रीगंगानगर मण्डी (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा :- धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, सरसों 16 अप्रैल से 15 मई, चना 15 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 15 मई से 15 जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर, ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर व सरसों, चना, मटर, मसूर 16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 15 मई से 30 जून होगा।

- यदि किसी दलहन फसल की जींस की दर हिसार/हरियाणा मण्डी में नहीं मिलती है तो यू0पी0 की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा ।
- क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोड़ा जाएगा।
- ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।
- ग. जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद के प्रोक्यूरमेंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमेंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमेंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।
- घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में, निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।
- ङ. खलिहान पर रा सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/सूखा अनाज/ मिट्टी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते हैं तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्च पर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमशः फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा ।
- च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा ।
- छ. फार्म द्वारा rawseed का intake करते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि rawseed की quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजो आदि से

पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि seed recovery निश्चित सीमा से अधिक आये व processing losses भी कम से कम रहे. हिस्सा आधारित पद्धती से उत्पादित किसानो से प्राप्त rawseed की फसलवार न्युनतम तय की गयी seed recovery percentage:-

क्रम सं	फसल का नाम	न्युनतम seed recovery %
खरीफ फसल		
1	बाजरा, धान	80%
2	मूंग, मोठ, उर्द, ग्वार, अरहर	78%
3	मूंगफली, तिल	75%
रबी फसल		
1	गेहूँ, जौ	80%
2	चना, सरसों, तोरिया, अलसी	78%
3	जई	75%
4	शेष अन्य फसले	78%

यदि seed recovery निश्चित न्युनतम सीमा से कम आती है तब ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटौती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी!

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

Actual seed recovery X Rate/P.Q

crop wise seed recovery percentage fixed

- कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा।
- निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्यसम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
- निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदादाता फार्म चक पर

ट्यूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदाता की सहमति से निणर्य होगा कि ट्यूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदाता उखाड कर ले जायेगा। ट्यूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर निविदादाता सम्बन्धित चक पर स्थित ट्यूबवैल का उपयोग करना चाहता है तो फार्म प्रशासन से इसकी पूर्व में अनुमति लेनी होगी तथा इसमें आने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहां निविदादाता द्वारा करना होगा । निविदादाता को चक संख्या 50 पीबीएन लॉट-3 में सिंचाई/ डिग्गी भरने के लिये समय समय पर नहर में पानी के बहाव के दौरान ही सप्ताह में 03 दिन पानी दिया जायेगा । बाकी सभी चको में पानी की व्यवस्था स्वयं निविदादाता को करनी होगी ।

9. बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होंगे। बीज प्रमाणीकरण से संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुनः निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदाता को भरनी होगी। **यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।**
10. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस,दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदाता का होगा। यदि, फार्म को किसी मामले में निविदाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।
11. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।
12. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।
13. संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (undertaking) देगा व यथास्थिति में कार्य

पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पत्ति का निविदाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निर्माण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदाता से वसूली जायेगी।

14. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवं अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
15. संबंधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एवं सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
16. निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
17. फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
18. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।
19. हिसार फार्म पर गेहूं फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूड़ी) निविदाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वयं करेगा।
20. फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।
21. (I) प्रत्येक फसल के उत्पादन का लक्ष्य उस चक पर प्राप्त गत तीन वर्षों में से अधिकतम फसलवार उत्पादकता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा !
- 21 (II) यदि प्रस्तावित चक पर किसी फसल की पिछले 3 वर्षों में किन्ही कारणों से उत्पादकता अपेक्षा से कम रही है या उस फसल का उत्पादन इन तीन वर्षों में इस चक पर नहीं लिया गया है तब ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर इस चक पर उस विशेष फसल की उत्पादकता का लक्ष्य निगम के हित को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेगा !

यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदाता की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पायी जाती है तब निविदाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी।

22. निविदाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।
23. निविदाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी ।
24. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
25. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।
26. निविदाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।
27. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिंग का कार्य फसल वर्ष 2021-22(खरीफ 2021-रबी 2021-22) के लिए होगा भविष्य में बोर्ड की स्वीकृति मिलने पर यह आउटसोर्सिंग का कार्य अन्य एक वर्षके लिए आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है
28. यदि निविदाताकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाताकर्ता के जोखिम एवं लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।
29. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- ₹ के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।
30. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पूर्वानुमान/ नियंत्रण /निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि निविदाता अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
31. नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS, सभी कर व अन्य कटौतिया काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा
32. नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का संपूर्ण अधिकार फार्म प्रशासन का होगा।
33. समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों/आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।

34. इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उत्तरदायित्व निविदादाता पार्टी का होगा।
35. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा नामित एकल आविट्रेटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि पक्षकारों को मान्य होगा। न्यायालय की कार्यवाही और मध्यस्थताराष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म/इकाई के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होगी ।

36. ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रबंधक (उत्पादन)